

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 24]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 25 जनवरी 2023—माघ 5, शक 1944

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 जनवरी 2023

क्र. एफ-3-7-2022-एक-10.—मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त अधिनियम, 1981 (क्रमांक 37 सन् 1981) की धारा-13-क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, लोकायुक्त की अनुशंसा पर एतद्वारा श्री भागचंद मलैया, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश को इनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 03 वर्ष तक के लिये संभागीय सतर्कता समिति, जबलपुर में अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रंजना पाटने, उपसचिव.